

अनुदान संख्या 68 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
GRANT No. 68 - MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	21543,43,00		
		21543,48,00	21499,90,71	-43,57,29
पूरक	Supplementary	5,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			42,79,57
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	594,52,00		
		594,53,00	594,26,33	-26,67
iwjd	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			26,63

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें/अधिक व्यय हुईं/हुए:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	223137.00		
पू.	S.	2.00
पु.	R.	-223139.00

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2851”	Major Head “2851”			
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	Village and Small Industries			
मू.	O.	1927921.00		
पू.	S.	2.00	2146704.32	2146627.03
पु.	R.	218781.32		-77.29

(I) तेरह शीर्षों के अंतर्गत ₹225191.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹224887.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किए गए:—

(I) Provision of ₹225191.00 lakhs (including token supplementary grants of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024) remained wholly unutilised under thirteen heads; of these ₹224887.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2552” -

(A) Major Head “2552” -

(क) “ग्राम एवं लघु उद्योग - खादी एवं ग्रामोद्योग - खादी, ग्रामोद्योग एवं कॉयर उद्योग का विकास” - ₹3891.00 लाख (₹1.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(a) “Village and Small Industries - Khadi and Village Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries” - ₹3891.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(ख) “ग्राम एवं लघु उद्योग - कॉयर उद्योग - खादी ग्राम एवं कॉयर उद्योग का विकास” - ₹2846.00 लाख;

(b) “Village and Small Industries - Coir Industries - Development of Khadi Village and Coir Industries” - ₹2846.00 lakhs;

(ग) “ग्राम एवं लघु उद्योग - अन्य ग्राम उद्योग - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एवं अन्य ऋण सहायता योजनाएं” - ₹37001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(c) “Village and Small Industries - Other Village Industries - Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes” - ₹37001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(घ) “ग्राम एवं लघु उद्योग - लघु उद्योग” -

(d) “Village and Small Industries - Small Scale Industries” -

- | | |
|--|---|
| (i) “प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य ऋण सहायता योजनाएं” – ₹164793.00 लाख; | (i) “Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes” - ₹164793.00 lakhs; |
| (ii) “विपणन प्रोत्साहन योजना” – ₹1479.00 लाख; | (ii) “Marketing Promotion Scheme” - ₹1479.00 lakhs; |
| (iii) “बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम” – ₹10917.00 लाख; | (iii) “Infrastructure Development Programme” - ₹10917.00 lakhs; |
| (iv) “अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन” – ₹998.00 लाख; तथा | (iv) “Research and Evaluation Studies” - ₹998.00 lakhs; and |
| (ड) “ग्राम एवं लघु उद्योग – अन्य व्यय – उद्यमिता एवं कौशल विकास” – ₹910.00 लाख। | (e) “Village and Small Industries - Other Expenditure - Entrepreneurship and Skill Development” - ₹910.00 lakhs. |

पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों को कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोग करने तथा शेष राशि को अभ्यर्पित करने के कारण उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रह गए।

Provisions under the above eight heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

- | | |
|--|--|
| (का) मुख्य शीर्ष “2851” – | (B) Major Head “2851” - |
| (क) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – विपणन प्रोत्साहन योजना” – ₹1401.00 लाख; तथा | (a) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Marketing Promotion Scheme” - ₹1401.00 lakhs; and |
| (ख) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – विपणन प्रोत्साहन योजना” – ₹651.00 लाख। | (b) “Tribal Area Sub-Plan - Marketing Promotion Scheme” - ₹651.00 lakhs. |

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रह गए।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals for International Trade Fairs and Exhibitions.

- | | |
|--|---|
| (II) मुख्य शीर्ष “2851” के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुई:- | (II) Under Major Head “2851” - savings occurred under the following heads:- |
|--|---|

- (का) “निर्देशन एवं प्रशासन – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास आयुक्त” – ₹2404.62 लाख की बचत (₹21303.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने तथा कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।
- (ख) “लघु उद्योग” –
- (क) “अध्ययन, प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (एसपीआईसी)” – ₹892.29 लाख की बचत (₹3504.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सीबीसी द्वारा धन के कम उपयोग के कारण हुई।
- (ख) “उद्यमिता और कौशल विकास” – ₹588.21 लाख की बचत (₹5184.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने, योजना के मांग आधारित होने के कारण हुई थी।
- (ग) “बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम” – ₹38028.24 लाख की बचत (₹211883.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार योजना के तहत मशीनरी और उपकरणों की खरीद और भवनों के निर्माण के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (गा) “खादी और ग्रामोद्योग” –
- (क) “खादी, ग्राम और कॉयर उद्योगों का विकास” – ₹16994.69 लाख की बचत (₹75179.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय नोडल एजेंसी/कोषागार एकल खाते में जारी धनराशि के उपयोग न होने के कारण हुई।
- (A) “Direction and Administration - Development Commissioner of Micro, Small and Medium Enterprises” - saving of ₹2404.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21303.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less viable proposals.
- (B) “Small Scale Industries” -
- (a) “Studies, Publicity & International Cooperation (SPIC)” - saving of ₹892.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3504.00 lakhs) was due to less utilisation of fund by CBC, M/o Information & Broadcasting.
- (b) “Entrepreneurship and Skill Development” - saving of ₹588.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5184.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from implementing agencies, scheme being demand driven.
- (c) “Infrastructure Development Programme” - saving of ₹38028.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹211883.00 lakhs) was due to non-finalisation of tender for procurement of machinery and equipment and construction of buildings under New Technology Centres/Extension Scheme.
- (C) “Khadi and Village Industries” -
- (a) “Development of Khadi, Village and Coir Industries” - saving of ₹16994.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹75179.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds released to Central Nodal Agency/Treasury Single Account under Khadi Gramodyog Vikas Yojana.

- (ख) “प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन” – ₹1156.89 लाख की बचत (₹1441.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति और ‘नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना’ (एएसपीआईआरई) के तहत अप्रयुक्त शेष राशि की उपलब्धता के कारण हुई।
- (घा) “कॉयर उद्योग – खादी, ग्राम और कॉयर उद्योगों का विकास” – ₹17841.72 लाख की बचत (₹27225.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति और ‘पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना’ (एसएफयूआरटीआई) के तहत अप्रयुक्त शेष राशि की उपलब्धता के कारण हुई।
- (झ) “अन्य ग्रामोद्योग – उद्यमिता और कौशल विकास” – ₹724.28 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कौशल विकास के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की कम संख्या और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान के अंतर्गत ग्रामीण उद्योग के विकास के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।
- (चा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –
- (क) “अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन” – ₹1600.00 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ख) “खादी, ग्राम एवं कॉयर उद्योगों का विकास” – ₹7691.13 लाख की बचत (₹12946.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; तथा
- (छा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – खादी ग्राम और कॉयर उद्योग का विकास” – ₹4081.80 लाख की बचत (₹6814.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- (b) “Technology Upgradation and Quality Certification” - saving of ₹1156.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1441.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from implementing agencies and availability of unspent balances under ‘A Scheme For Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship’ (ASPIRE).
- (D) “Coir Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries” - saving of ₹17841.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27225.00 lakhs) was due to receipt of less proposal from implementing agencies and availability of unspent balances under ‘Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries’ (SFURTI).
- (E) “Other Village Industries - Entrepreneurship and Skill Development” - saving of ₹724.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to less number of trainees under Skill Development and receipt of less proposals for development of rural industry under Mahatma Gandhi Institute of Rural Industrialisation.
- (F) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -
- (a) “Research and Evaluation Studies” - saving of ₹1600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.
- (b) “Development of Khadi, Village and Coir Industries” - saving of ₹7691.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12946.00 lakhs); and
- (G) “Tribal Area Sub-Plan - Development of Khadi Village and Coir Industries” - saving of ₹4081.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6814.00 lakhs).

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचत, खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय नोडल एजेंसी/कोषागार एकल खाते में जारी धनराशि का उपयोग न होने तथा 'पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना' (एसएफयूआरटीआई) के अंतर्गत अप्रयुक्त शेष राशि की उपलब्धता के कारण हुई।

(चा) "अन्य व्यय" –

(क) "उद्यमिता और कौशल विकास" – ₹1514.72 लाख की बचत (₹2890.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कौशल विकास के लिए प्रशिक्षुओं की कम संख्या और 'प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता योजना' के तहत कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(ख) "अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र योजना" के अंतर्गत ₹602.00 लाख रुपये की बचत (स्वीकृत प्रावधान ₹1502.00 लाख रुपये की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹666.03 लाख की बचतें हुईं, जिनमें से प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 95 प्रतिशत तथा 22 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतों को आंशिक रूप से (₹31,2072.75 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया, जैसा कि मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया है:-

(का) "लघु उद्योग" –

(क) "पीएम विश्वकर्मा योजना" – ₹60212.27 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹60208.97 लाख था।

Savings under the above two head were due to non-utilisation of funds released to Central Nodal Agency/Treasury Single Account under Khadi Gramodyog Vikas Yojana and availability of unspent balance under 'Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries' (SFURTI).

(H) "Other Expenditure" -

(a) "Entrepreneurship and Skill Development" - saving of ₹1514.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2890.00 lakhs) was due to less number of trainees for Skill Development and receipt of less proposals under 'Assistance to Training Institutions Scheme'.

(b) "Research and Evaluation Studies" - saving of ₹602.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1502.00 lakhs) was due to receipt of less proposals under 'National Scheduled Castes/Scheduled Tribe Hub Centre Scheme'.

(III) Under two heads savings of ₹666.03 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 95 percent and 22 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹312072.75 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 under Major Head "2851" - under the following heads:-

(A) "Small Scale Industries" -

(a) "PM Vishwakarma Scheme" - ₹60212.27 lakhs. Actual excess, however, was ₹60208.97 lakhs.

- (ख) “प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य ऋण सहायता योजनाएं” – ₹154787.00 लाख।
- (ग) “मार्केटिंग प्रमोशन स्कीम” – ₹765.80 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹765.58 लाख था।
- (खा) “अन्य ग्रामोद्योग – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य ऋण सहायता योजनाएं” – ₹36142.49 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹36128.26 लाख था।
- (गा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना”–
- (क) “प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य ऋण सहायता योजनाएं” – ₹10836.80 लाख।
- (ख) “बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम” – ₹700.00 लाख।
- (ग) “पीएम विश्वकर्मा योजना” – ₹9624.00 लाख।
- (घा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –
- (क) “प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य ऋण सहायता योजनाएं” – ₹30647.39 लाख।
- (ख) “बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम” – ₹400.00 लाख
- (ग) “अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन” – ₹3199.00 लाख।
- (घ) “पीएम विश्वकर्मा योजना” – ₹4758.00 लाख।
- (b) “Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) and other Credit Support Schemes” - ₹154787.00 lakhs.
- (c) “Marketing Promotion Scheme” - ₹765.80 lakhs. Actual excess, however, was ₹765.58 lakhs.
- (B) “Other Village Industries - Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes” - ₹36142.49 lakhs. Actual excess, however, was ₹36128.26 lakhs.
- (C) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -
- (a) “Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes” - ₹10836.80 lakhs.
- (b) “Infrastructure Development Programme” - ₹700.00 lakhs.
- (c) “PM Vishwakarma Scheme” - ₹9624.00 lakhs.
- (D) “Tribal Area Sub-Plan” -
- (a) “Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes” - ₹30647.39 lakhs.
- (b) “Infrastructure Development Programme” - ₹400.00 lakhs
- (c) “Research and Evaluation Studies” - ₹3199.00 lakhs.
- (d) “PM Vishwakarma Scheme” - ₹4758.00 lakhs

(II) बचतों की प्रतिपूर्ति मुख्य शीर्ष “2851” – “लघु उद्योग – प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन” के अंतर्गत अधिक व्यय से भी हुई – ₹3773.65 लाख रुपये का अधिक व्यय (₹5285.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स और डिजाइन घटक के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2851” - “Small Scale Industries - Technology Upgradation and Quality Certification” - excess of ₹3773.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5285.00 lakhs) was due to requirement of additional funds under Zero Effect Zero Defect, Intellectual Property Rights and Design Component of the Scheme.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें/अधिक व्यय हुई/हुए:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “4552” उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4552” Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	5790.00
पु.	R.	-5790.00
मुख्य शीर्ष “4851” ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4851” Capital Outlay on Village and Small Industries			
मू.	O.	53662.00	59426.37	-0.04
पु.	R.	5764.37	59426.33	-0.04

(I) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹5791.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹5790.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष “4552” – “लघु उद्योग – निधियों का कोष” के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग हेतु कार्यात्मक शीर्षों में निधियों के पुनर्विनियोग के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹5791.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these ₹5790.00 lakhs alone accounted for under Major Head “4552” - “Small Scale Industries - Fund of Funds” - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹470.44 लाख रुपए की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत है।

4. उपर्युक्त बचतों की आंशिक प्रतिपूर्ति मुख्य शीर्ष “4851” – “लघु उद्योग – निधियों का कोष” के अंतर्गत अधिक व्यय से हुई – ₹6373.06 लाख रुपये का अधिक व्यय (₹37340.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “4552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और कार्यान्वयन एजेंसियों से अधिक प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुआ।

(II) Under one head saving of ₹470.44 lakhs occurred constituting 24 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head “4851” - “Small Scale Industries - Fund of Funds” - excess of ₹6373.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37340.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “4552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and receipt of more proposals from implementing agencies.
